E-mail:registrarcsjmuknp@gmail.com
csjmu@kanpuruniversity.org

☎🖷: 0512-2580044
☎🖷: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / आर.कैम्प. / 3366 / 2021 दिनांकः 09 /04/2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी / शिक्षक / समन्वयक / कार्यक्रम अधिकारी (राष्ट्रीय सेवा योजना) / **प्रभारी** (एन0सी0सी0) पुरूष / महिला
विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।

विषयः–कोविड–19 की त्रासदी से बचाव हेतु टीकाकरण (Vaccination) के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 के पत्रांक–ई–2835 / 2021 दिनांक–09.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कोविड–19 की त्रासदी में **टीकाकरण** कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने संस्थान में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई के स्वयंसेवकों एवं एन0सी0सी0 से जुड़े छात्र / छात्राओं तथा स्वयं व्यतिक्गत रूचि लेकर संलग्न पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करने / कराने का कष्ट करें। जिससे कोविड–19 त्रासदी से प्रभावी बचाव किया जा सके।

संलग्नक– *यथोपरि।*

भवदीय,

डॉ. **(अनिल कुमार यादव)**
कुल सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सिस्टम मैनेजर (संगणक केन्द्र) को इस आशय से कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैय. सहा. वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक।
4. गार्ड फाइल।

कुल सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याः ई– 2835 /2021
दिनांकः 09 अप्रैल, 2021

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त कुलपति/निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान।

महोदय,

कोविड 19 की त्रासदी के इस दौर में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार 45 वर्ष या उससे उपर की आयु के लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीकाकरण में दो डोज दी जा रही हैं। दोनों डोज में केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार 6 से 8 सप्ताह का अन्तराल निर्धारित किया गया है।

टीकाकरण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र में टीकाकरण निःशुल्क हो रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र में टीकाकरण दोनों डोज के लिए 250 रूपये में कराने की व्यवस्था है। आज की तिथि में उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में कुल पॉच हजार से साढे पॉच हजार केन्द्रों पर टीकाकरण की कार्यवाही प्रतिदिन सम्पन्न हो रही है। सभी सरकारी मेडिकल कालेजों, सरकारी जिला अस्पतालों, तहसील/ब्लाक स्तरीय सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा निरन्तर उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्र सरकार ने 11 अप्रैल, 2021 से work place vaccination की सुविधा भी आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ऐसे स्थलों पर राज्य सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

कभी कभी विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में इस टीकाकरण को लेकर भ्रांति फैलाने की बात भी सामने आई है जो कि गलत है। हम सबको इस प्रकार की भ्रान्तियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी।

कोविड की पहली लहर में लोगों ने भी काफी सावधानी बरती थी और उससे स्थितियों में काफी नियंत्रण हुआ था। किन्तु धीमे धीमे लापरवाही बढ़ती गई और अब अचानक दूसरी लहर का दौर आ गया है जो कि पहले से भी ज्यादा भयावह है। आज की स्थिति में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता से फिर से अवगत कराया जाये और कड़ाई से यह सुनिश्चित कराया जाये कि लोग सावधानी बरतें। इसके साथ साथ लोगों को यह भी प्रेरित किया जाये कि वह टीकाकरण के लिए आगे आयें।

दिनांक 8 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी का आवाहन किया है कि देश के सभी नागरिक राजनीतिक दलगत तथा धर्म विभेद से ऊपर आकर टीकाकरण अभियान में सम्मिलित हों। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल, 2021 के बीच टीका उत्सव मनाया जाये।

इस मुहिम में विश्वविद्यालयों को एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय भूमिका निभानी होगी और इसमें अपने महाविद्यालयों को भी अपने साथ रखना होगा। विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका निम्न प्रकार सुनिश्चित करायी जानी अपेक्षित है :–

- सबसे पहले सभी विश्वविद्यालय व उनसे सम्बद्ध सभी महाविद्यालय टीकाकरण करने वाली सरकारी संस्था से समन्वय स्थापित कर अपने eligible स्टाफ तथा उनके परिवार का टीकाकरण सुनिश्चित करायें।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं को यह प्रेरित किया जाये कि वह कैम्पस में रहते हुए भी और कैम्पस से बाहर रहते हुए भी अपने परिवार के सभी eligible परिजनों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण करायें।
- इस महाअभियान में प्रचार प्रसार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी। NSS और NCC से जुड़े छात्रों को इसका दायित्व सौंपा जाये। इस महाअभियान के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा स्वयं के छात्रों द्वारा निर्मित प्रचार सामग्री का प्रयोग कर समाज के अलग–अलग वर्ग में फैली भ्रांतियों को दूर कर सृजनात्मक तरीके से जागृति फैलायी जा सकती है। समाज के लब्धप्रतिष्ठित लोगों के लिए ब्रांड अम्बेसडर की भूमिका का भी सृजन किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय को इस महाअभियान में अपने कार्य को विभाग स्तर तक विकेन्द्रित करना होगा। विभाग अपने अध्यापक, नॉन टीचिंग व परास्नातक व शोध छात्रों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न target segment तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं।
- इस अभियान में जुड़े सभी को अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ उन्हें अपनी सुरक्षा के उपायों से भी सचेष्ट एवं संवेदनशील करना होगा।
- विश्वविद्यालय इस प्रकार के चलने वाले अभियान से जुड़े समाचार तथा तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर भी साझा की जानी चाहिए ताकि सूचना व विश्वास दोनों सामान्य समाज तक पहुँचे।
- समस्त विश्वविद्यालय व महाविद्यालय अपने एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस स्थित बस्तियों विशेषकर मलिन बस्तियों को गोद लेकर उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराये।
- इस पूरी कार्यवाही में स्थानीय जिला प्रशासन से भी पूरा समन्वय बनाये रखा जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट राज भवन को hgovup@gov.in पर अपराह्न 05.00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शैक्षणिक/गैरशैक्षणिक स्टाफ तथा छात्रों को यथासमय उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी करने पर विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव